केरल में हिन्दी की दशा और दिशा	- डॉ0 अश्विनी कुमार शुक्ल	89
राजभाषा : दशा और दिशा	- डॉ0 सातप्पा शामराव सावंत	92
केरल में हिन्दी की दशा और दिशा	- डॉ0 षीबा शरत एस0	94
ओडिशा में हिन्दी (सुजाता शिवेन जी से शिवजी श्रीवास्तव द्वारा लिया गया साक्षात्कार)	- डॉ0 शिवजी श्रीवास्तव	98
हिन्दी साहित्य को तमिल साहित्यकारों का योगदान	- डॉ0 हरेन्द्र हर्ष	100
छज्जू का चौबारा	- नीलू गुप्ता	104
सिंगापुर में मेरा हिन्दी का सफर	- चित्रा गुप्ता	105
मण्डी थियेटर और रेडियो हिन्दी	- अलका शर्मा	107
वैश्विक स्तर पर हिन्दी का महत्त्व	- डॉ0 माधुरी दुबे	108
सूरीनाम में हिन्दी	- प्रो0 रमेश तिवारी 'विराम'	111
एक राष्ट्र एक भाषा का औचित्य	- डॉ0 दिलीप पाण्डेय	113
महाराष्ट्र का मध्ययुगीन साहित्य : हिन्दी भाषा की अमूल्य धरोहर	- सुन्दरदास विशनदास गोहराणी	115
हिन्दी अनुवाद : स्थिति और चुनौतियाँ	- डॉ0 शमा खान	120
पाकिस्तान : उर्दू लिपि में हिन्दी	- प्रो0 रामबाबू मिश्र 'रत्नेश'	123
हिन्दी की दिशा और दशा	- डॉ0 बी0सी0 उके	124
डॉ0 विजयगाडे (महाराष्ट्र की रचना-धर्मिता)	- डॉ0 रुद्रनारायण त्रिपाठी	126
बदीउज़्ज़मा (उड़ीसा) की कालजयी रचनाएँ तथा चरित्र सृष्टि	- डॉ0 एम0डी0 इंगोले	129
वैश्विक स्तर पर हिन्दी	- डॉ0 राजेश कुमार पालीवाल	131
अभिमन्यु अनत (मॉरीशस का शीर्षस्थ हिन्दी साहित्यकार)	- गीता भारद्वाज	132
हिन्दीतर प्रान्तों में हिन्दी : एक संस्मरण	- भारती मिश्रा	134
विश्वपथ पर हिन्दी	- अपूर्वा अवस्थी	135
लघु कथाएँ	- डॉ0 पी0आर0 वासुदेवन 'शेष'	136
पंजाब प्रान्त और हिन्दी भाषा	- सरदार सूर्य प्रताप सिंह, एडवोकेट	137
मुख पृष्ठ के हिन्दी सेवी साहित्यकार	- सम्पादक	139

राजभाषा : दशा और दिशा

--डॉ. साताप्पा शामराव सावंत
अध्यक्ष हिन्दी विभाग स्नातकोत्तर
दिलिंग्डन महाविद्यालय, सांगली, महाराष्ट्र

प्रस्तावना :- आज राजभाषा हिन्दी का राजभाषा पद सर्वाधिक विवादित है। प्राचीनकाल से लेकर भारतवर्ष में राजभाषा कभी संस्कृत कभी प्राकृत तो कभी अपभ्रंश तो आगे चलकर अंग्रेजी तत्पश्चात् हिन्दी इस पद पर आसनस्थ हुई है। भारतीय संविधान ने तो अवश्य यह व्यवस्था कर रखी है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी भारतीय संघ व्यवस्था की राजभाषा होगी; लेकिन दुर्भाग्य कि बात यह है कि इसे कार्यान्वित होने के पूर्व ही इस व्यवस्था को स्थगित कर दिया गया है। इसे लागू कर देने के लिए ऐसी शर्तें लागू की गई कि, अब शायद ही हिन्दी राजभाषा बन पाये। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं।

1. हिन्दी साम्राज्यवाद की आशंका से ग्रस्त हिन्दी विरोधियों का कुचक्र।
2. अंग्रेजी को अत्यधिक महत्त्व प्रदान करने वाले प्रशासकों का लालफीताशाही कारोबार।
3. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ईसाई मिशनरियों द्वारा अंग्रेजी का बढ़ता प्रचार।
4. भारतीय भाषाओं में पाई जाने वाली भाषिक दादागीरी।
5. अंग्रेजी भाषा से जुड़ें आर्थिक और ज्ञान से सम्बन्धित प्रलोभन।
6. हिन्दी भाषियों में पाई जाने वाली हीनता का बढ़ता अनुपात।
7. व्यावहारिक भाषा के रूप में हिन्दी तथा देवनागरी में पाई जाने वाली न्यूनताएँ।
8. जनसामान्य लोगों में पाई जाने वाली यथास्थितिवाद की बढ़ती प्रवृत्ति।

राजभाषा की दिशा और दशा

जिस तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में हिन्दी के सहारे स्वाधीनता आन्दोलन चलाया गया था, तब हिन्दी उत्तर भारत के नवजागरण का माध्यम बन गयी थी। जो हिन्दी इस लोकतंत्र में जनसंवाद की वास्तविक भूमिका निभा सकती है, उसको राजकाज में अभीष्ट वरीयता नहीं दी गई है। देश की करीब दो दर्जन के आसपास भाषाओं का राष्ट्रभाषा और राजभाषा उर्दू को द्वितीय राजभाषा और अंग्रेजी को सहसम्पर्क भाषा के नाम पर प्रायः सर्वत्र ही असली राजभाषा बना दिया गया। इसमें अनेक प्रकार की हानियाँ उठानी पड़ रही हैं। जिसके कुछ आयाम निम्नलिखित हैं-

(अ) शासन और सामान्य लोगों के बीच सहज प्रीति और प्रतीति नहीं आ पा रही है।

(ब) व्यवस्था पर एक कुलीनतंत्र हावी हो गया है, जो समस्त राष्ट्रीय संसाधनों को हानि पहुँचा रहा है, जिसके कारण समाज का विशिष्ट बहुसंख्यक वर्ग सामाजिक न्याय से वंचित रह गया है।

(स) अंग्रेजी ने हिन्दी के ढाँचे को तहस-नहस कर दिया है। इसमें शिक्षितों, अर्धशिक्षितों के बीच जो भाषा बोली जा रही है, वह आज कान्वेन्ट संस्कृति से उत्पन्न हिन्दी अंग्रेजी की एक वर्णसंकर खिचड़ी को जन्म दे रही है, इसे कुछ लोग आज हिंग्लिश नाम से अभिहित करते हैं। संभव है, कालक्रम के परिप्रेक्ष्य में यह स्वतंत्र भाषा का रूप धारण कर सकती है। आज जैसे फ्रेंच, डच और हिन्दी भोजपुरी के परिपाक से मॉरीशस में क्रिओल भाषा का प्रचलन हो गया है।

(द) भारत में अंग्रेजी के अत्याधिक प्रयोग से मानवीय संसाधन तथा राष्ट्रीय प्रतिभा की बड़ी क्षति हुई है। यह बड़ा चिंतनीय सवाल है कि अरबों की बजट व्यवस्था में ज्ञान-विज्ञान का अध्ययन करने के लिए हमारी युवा पीढ़ी को अस्सी प्रतिशत से अधिक क्षमता भाषा स्तर पर ही व्यय हो जाती है। केवल बीस प्रतिशत से वह विषयवस्तु को पूर्णतः आत्मसात कैसे कर सकती है ? बस वह बात तोता रटंत की तरह होती है। एक प्रसिद्ध उक्ति है कि आविष्कार उस भाषा में होते हैं, जिसमें हम सपने देखते हैं। कल्पनाएँ भी अवचेतन मन का परिपाक होती है। यदि उसे हम मातृभाषा से जोड़ देने का प्रयास करते हैं, तो नई-नई संकल्पनाएँ नए रूप धारण कर लेती हैं। यह मनोभाषिकी का सर्वसम्मत सिद्धान्त का उदाहरण कहा जा सकता है। चीन, रूस, जापान, कोरिया आदि देशों ने

अपनी-अपनी राष्ट्रभाषाओं के माध्यम से विज्ञान और तकनीकी का अभूतपूर्व विस्तार करके इस कथन को सार्थक साबित किया है।

राजभाषा का यह प्रश्न मूलतः हिन्दी भाषा-भाषियों की संकल्प शक्ति पर आधारित है। दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से सब प्रकार का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। स्वयं के पारिभाषिक शब्द बनाएँ जा सकते हैं। संकेताक्षर बनाए जा सकते हैं। टंकण, आशुलेखन, कम्प्यूटरीकरण आदि विविध आयामों की खोज की जा सकती है। जिसके लिए अनुवाद, शब्दकोश, विश्वकोश की सहायता ली जा सकती है। इसकी पूर्ति हिन्दी कर सकती है। इस दिशा में करीब पचास वर्षों से अधिक काल से प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में हिन्दी अवश्य ही इस क्षेत्र में अंग्रेजी से स्पर्धा नहीं कर सकती, फिर भी इस दृष्टि से हिन्दी की अपनी अलग अस्मिता रही है। इस भाव से राजभाषा की संकल्पना ही हिन्दी का सही कार्यान्वयन करा सकती है। भारत सरकार द्वारा राजभाषा आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। इसका सार इस प्रकार से है-

समस्त देश में क, ख, ग इन तीन वर्गों में विभाजन और उसके अनुसार राजभाषा व्यवस्था का अनुपालन होना चाहिए। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन किया जाए। इन मंत्रालयों में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति के साथ राजभाषा अनुभाग का निर्माण हो। हिन्दी प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाए। अहिन्दी भाषी क्षेत्र में छात्रवृत्ति, मान-सम्मान, पुरस्कार आदि का आयोजन किया जाए। प्रचार साहित्य तथा तुलनात्मक साहित्य के प्रकाशन हेतु अनुदान का प्रावधान रखा जाए। विभिन्न प्रान्तों का पारस्परिक परिभ्रमण रखा जाए, जिससे राजभाषा सबल हो सकती है।

राजभाषा की उपेक्षा दण्डविधान का रूप भी धारण कर लेती है। नियमन अथवा दण्ड के माध्यम से आज की लोकतंत्र व्यवस्था में यह सहज संभव नहीं है। इसकी प्रतिक्रिया गंभीर होती है। जो भारत की सार्वभौमिकता को विध्वंस कर सकती है। राजभाषा किसी भी भूभाग की मातृभाषा नहीं है। सबको एक नए सिरे से विचार करना है, चाहे हिन्दी भाषी हो या अहिन्दी भाषी।

❖

''हिन्दी भाषा इतनी समृद्ध और सक्षम है कि सारा कामकाज सुचारु रूप से हिन्दी में किया जा सकता है। यह खेद की बात है कि हिन्दी भाषियों में भाषा के प्रति स्वाभिमान नहीं जगा, अन्यथा बहुत पहले हिन्दी देश व्यापी स्तर पर प्रचलित हो गयी होती।''

-डॉ. फादर कामिल बुल्के, वेल्जियम

''कलकत्ता छोड़ा मदरास छोड़ा
हमरा मुलुक अपनाय के
कुली नाम धराइ के।
घर छोड़ा रिश्ता मोड़ा
बारह आने कमाइ के।
गोरन के हण्टर लात खाए
दुःख सहे नया देश बनाइ के।
धर्म न छोड़ा, भाषा न छोड़ी
संस्कृति राखी बनाइ के।।''

- पं. रामलाल, गुयाना